

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- राज्य योजना, अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित क्रमशः सामान्य श्रेणी के लिए ₹7,00,00,000=00 (रूपये सात करोड़) एवं अनुसूचित जाति के लिए ₹3,00,00,000=00 (रूपये दो करोड़) अर्थात् कुल ₹10,00,00,000=00 (रूपये दस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गत वर्षों की भाँति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित क्रमशः सामान्य श्रेणी के लिए ₹7,00,00,000=00 (रूपये सात करोड़) एवं अनुसूचित जाति के लिए ₹3,00,00,000=00 (रूपये तीन करोड़) अर्थात् कुल ₹10,00,00,000=00 (रूपये दस करोड़) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758, दिनांक-31.05.2017 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है:-

2 (i) उक्त स्वीकृत राशि सामान्य श्रेणी के मृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों के लिए- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-114- उत्प्रवासी श्रम कल्याण-उप शीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230011140102) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में राशि का उपबंध है:-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध
0102-21-01-सामग्री एवं पूर्तियाँ	50,000
योग-26-2230.01.114.0102.21-सामग्री एवं पूर्तियाँ	50,000
0102-26-01-विज्ञापन और प्रकाशन	2,00,000
योग-26-2230.01.114.0102.26-विज्ञापन और प्रकाशन	2,00,000
0102-31-06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	6,97,00,000
योग-26-2230.01.0102.31-सहायक अनुदान	6,97,00,000
0102-37-01 अनुग्रह अनुदान	50,000
योग-26-2230.01.114.0102.37-अनुग्रह अनुदान	50,000
योग-26-2230.01.114.0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों को पुनर्वापसी पर व्यय	7,00,00,000
योग-लघु शीर्ष-26-2230.01.114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण	7,00,00,000

(ii) अनुसूचित जाति के मृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों के लिए—मुख्य शीर्ष-2230—श्रम, रोजगार और कौशल विकास—उप मुख्य शीर्ष-01—श्रम—लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—उप—शीर्ष-0103—अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230017890103) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में राशि का उपबंध है:-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध
0103-31-06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	3,00,00,000
योग-26-2230.01.789.0103.31-सहायक अनुदान	3,00,00,000
योग-26-2230.01.789.0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों को पुनर्वापसी पर व्यय	3,00,00,000

अर्थात् (i)+(ii) के तहत कुल राशि ₹10,00,00,000=00 (रुपये दस करोड़) मात्र।

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल उपबंधित राशि ₹10,00,00,000=00 (रुपये दस करोड़) मात्र का व्यय निम्न प्रकार होगा:-

(क)	प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना मृत्यु पर व्यय ₹2,00,000=00 X 420	= 8,40,00,000=00
(ख)	प्रवासी मजदूरों के अपंगता पर व्यय (क) आंशिक अपंगता ₹50,000=00 X 50	= 25,00,000=00
	(ख) पूर्ण अपंगता ₹1,00,000=00 X 50	= 50,00,000=00
(ग)	प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुँचाने पर व्यय 420 प्रवासी मजदूर X ₹1000	= 4,20,000=00
(घ)	मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुँचाने पर व्यय	= 72,00,000=00
(ङ)	पुनर्वापसी के पश्चात् भोजन, नास्ता, वस्त्र, दवा आदि पर अनुसूचित व्यय	
	-100 प्रवासी मजदूर X ₹500	= 50,000=00
(च)	घर पहुँचाने पर 30 दिन का राशन पर-420 प्रवासी मजदूर X ₹1500	= 6,30,000=00
(छ)	योजना के प्रचार-प्रसार का प्रपत्र आदि की छपाई पर व्यय	= 2,00,000=00
		₹10,00,00,000=00
		(दस करोड़) मात्र

4. यह चालू योजना है।

5. प्रस्ताव/प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०सं०-168/टि० पर प्राप्त है।

6. इस योजना के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/श्रमायुक्त के सचिव/संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त एवं सभी श्रम अधीक्षक होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे।

7. इस राशि की निकासी बिहार भवन, कोषागार, नई दिल्ली/विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना/संबंधित जिला के जिला कोषागार से होगी।

8. प्रस्ताव में सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन पृ०सं०-169/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/आई०एम०एल०-04/2008, श्र०सं०.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/आई०एम०एल०-04/2008, श्र०सं०.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/आई०एम०एल०-04/2008, श्र०सं०.....2254

पटना, दिनांक- 02.05.2015

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/श्रमायुक्त, बिहार बजट शाखा (श्रम पक्ष)/ प्रशाखा-02 (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।